बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग,
हवाई अड्डा, पटना–14

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
e-mail- cadbihar@bihar.gov.in

का०आ०सं०–: सि०वि०नि०(स्था०)–14/2018 (खण्ड)– पटना, दिनांक......................2026

–:: कार्यालय आदेश ::–

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–26 दिनांक–02.02.2026 द्वारा बिहार उड्डयन संस्थान में मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की स्थिति में संस्थान के Revised TPM एवं DGCA CAR SEC 7- FLIGHT CREW STANDARDS TRAINING & LICENSING SERIES I PART V, DATED-20 FEB 2015 (Rev. DATED- 03 JAN 2025) की कंडिका 2.5 में किये गये प्रावधान के आलोक में बिहार उड्डयन संस्थान के Flying Activities के Overall In-charge तथा संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले उड़ानों को Authorize करने का दायित्व कै० दीपक कुमार, सहायक उड्डयन प्रशिक्षक (संविदा) पूर्व के दायित्वों के साथ साथ बिहार उड्डयन संस्थान के Dy. Chief flight Instructor (Dy. C.F.I) को सौंपा गया था। उक्त दायित्वों का निर्वहन कै० दीपक कुमार, सहायक उड्डयन प्रशिक्षक (A.F.I) द्वारा किया जा रहा था।

उक्त नियमों में प्रावधान है कि मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक की अनुपलब्धता/अनुपस्थिति की स्थिति में संस्थान के Flight Instructor (F.I) अधिकत्तम तीन माह के लिए तथा Dy. Chief flight Instructor (Dy. C.F.I) अधिकतम एक साल के लिए संस्थान के Flying Activities के Overall In-charge तथा संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले उड़ानों को Authorize करने के दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि कै० दीपक कुमार को दिनांक–26.02.2026 के सम्पन्न Class-I Medical Examination/Renewal में 12 सप्ताह के लिए Temporarily Unfit किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार उड्डयन संस्थान में कार्यरत उड्डयन प्रशिक्षक, कै० पुजा संदवार ने डी०जी०सी०ए० द्वारा Dy. Chief flight Instructor (Dy. C.F.I) की योग्यता अर्जित करने संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

उक्त के आलोक में उच्चत्तर तकनीकी योग्यता प्राप्त करने के फलस्वरूप कै० पुजा संदवार, उड्डयन प्रशिक्षक को बिहार उड्डयन संस्थान के Dy. Chief flight Instructor (Dy. C.F.I) के पदीय दायित्व, संस्थान के Flying Activities के Overall In-charge तथा संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले उड़ानों को Authorize करने का दायित्व सौंपा जाता है। उक्त दायित्वों के निर्वहन के लिए कै० संदवार को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इससे संबंधित पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह०/–
(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

ज्ञापांक– सि०वि०नि०(स्था०)–14/2018 (खण्ड)– 50 पटना, दिनांक–10/03/2026

प्रतिलिपि– उत्तरदायी प्रबंधक, बिहार उड्डयन संस्थान/कै० पुजा संदवार, उड्डयन प्रशिक्षक/कै० दीपक कुमार, सहायक उड्डयन प्रशिक्षक/लेखा शाखा, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री अजय कुमार, आई०टी०मैनेजर, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव